# नगर पालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर

नगर पालिका परिषद टांडा, जनपद- रामपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है जो एक नगर पालिका परिषद बोर्ड है, यह मुरादाबाद मंडल का है। नगर पालिका परिषद टांडा, के चेयरमैंन **श्रीमती साहिबा सरफराज पत्नी श्री हाजी सरफराज आलम** और अधिशासी अधिकारी **श्री पुनीत कुमार** हैं। नगर पालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर में कुल क्षेत्रफल **9.07** वर्ग कि0मी है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसख्या **48059** है।

74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरीय निकाय के मुख्य दायित्वों को विस्तार प्रदान करते हुए संविधान की 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243(ब) के अन्तर्गत नगरीय निकायं को 18 विषयों पर मुख्यतः लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता व सफाई, कूड़ा करकट का प्रबन्धन, नगरीय योजना, मलिन बस्ती सुधार और प्रोन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, सड़क और पुल, पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था, पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाॅप, पशुवधशालाएं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन, निराश्रित व आवारा पशुओं हेतु कांजी हाउस, पशुक्रूरता निवारण, कब्रिस्तान, श्मशान, व विद्युत शवदाव गृह का विनियमन, भू-उपयोग व भवनों का निर्माण तथा सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि शमिल है। नगर पालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर में कुल क्षेत्रफल 9.07 वर्ग कि0मी है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसख्या 48059 है।

नगर पालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर की एक तृतीय श्रेणी की नगर निकाय है, जिसे उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 2957B/11-9-85 लखनऊ दिनांक 25 मई, 1985 के द्वारा इसे दिनांक 01 जून, 1985 से नगर पालिका परिषद घोषित किया गया।

नगर पालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुरः-

नगर पालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर की आय के मुख्य स्रोत दो है। प्रथम - केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले विभिन्न अनुदान जिसके अन्तर्गत 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा निकाय को वर्ष में दो बार बुनियादी तथा निर्दिष्ट अनुदान प्रदान किया जाता है। बुनियादी अनुदान का उपयोग निकाय की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे - सड़क, जल निकासी, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि में किया जा सकता है। इसी प्रकार निर्दिष्ट अनुदान का उपयोग समान अनुपात में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन एवं पेयजल आपूर्ति के मद में किया जाता है। निकाय को राज्य सरकार द्वारा गठित पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रतिमाह अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग वेतन/पंेशन/भत्तों के भुगतान करने के उपरान्त धनराशि शेष रहने की स्थिति में विकास कार्यों में भी किया जा सकता है।

नगर पालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर की आय का दूसरा मुख्य स्रोत स्वयं के संसाधनों द्वारा अर्जित की गयी आय है, जिसके अन्तर्गत निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से गृहकर, जलकर, एवं जलमूल्य संग्रह किया जाता है, इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र में विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए लाईसेंस शुल्क भी संग्रह किया जाता है। नगर पालिका परिषद टाण्डा नगर क्षेत्र में लगने वाले हाट और मेलों की नीलामी आदि भी निकाय के आय अर्जित करने के स्रोत है। इस प्रकार निकाय को प्राप्त होने वाली धनराशि जिसमें केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये अनुदान तथा निकाय के स्वयं के स्रोतों द्वारा अर्जित कर/करेत्तर आय का उपयोग निकाय के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन में किया जाता है।